

बुन्देलखण्ड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

website :- www.bmcsagar.edu.in

Email :- bmcsagar@mp.gov.in



फोन नं. 07582-236270

फैक्स नं. 07582-236457



गर्ल्स हॉस्टल में मैस संचालन व्यवस्था ऑनलाईन निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. कार्य का नाम :-

बुन्देलखण्ड शास.चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गर्ल्स हॉस्टल में अधिकतम लगभग 250 छात्राओं हेतु 03 वर्ष के लिए संलग्न चार्ट अनुसार मैस संचालन व्यवस्था का संचालन। किंतु यह आवश्यक नहीं होगा कि समस्त छात्राएं खाना मैस में ही खाएं। छात्राओं की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।(प्रतिमाह रू. 1800- की दर से प्रतिछात्रा भोजन राशि)

2. निविदा धरोहर राशि :-

निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम रू. 50,000.00 (रू. पचास हजार मात्र) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में देय (निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा धरोहर राशि के रूप में चैक/डीडी/बीसी मान्य नहीं है।), **जिसकी वैधता कम से कम 42 माह या इससे अधिक होना चाहिए।**

सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर नियमानुसार तुरंत वापिस की जाएगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य : निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रू. 1000/- (एक हजार मात्र) वापिसी योग्य नहीं है।

3. निविदा की समयावधि :-

अनुबंध के अनुसार निविदा 03 वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदा कार्य संतोषजनक पाए जाने पर 03 वर्ष पश्चात् महाविद्यालय की क्रय समिति की अनुशंसा पर निविदा, पूर्व शर्तों के साथ अथवा शर्तों में आवश्यक संशोधन/वृद्धि पश्चात आगामी वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। (प्रतिवर्ष मासिक किराया एवं भोजन दर पर 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी)

4. निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधि :-

निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा www.mpeproc.gov.in के साथ-साथ निविदा की एक हार्ड प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी। इस हेतु निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwriting) मान्य नहीं किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

4.1 निविदा ऑनलाईन एवं त्रिस्तरीय होगी।

- 4.2 निविदादाता को ऑनलाईन दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ-साथ एक सील बंद लिफाफे में हार्डकॉपी महाविद्यालय में डाक/स्वयं के द्वारा अंतिम तिथि तक जमा कराना होगा।
- 4.3 मुख्य लिफाफे के अंदर तीन लिफाफे क्रमशः ए., बी. सी रखने होंगे।
- 4.4 लिफाफा ए में एफ.डी.आर. एवं निविदा मूल्य की मूल प्रति रखनी होगी।
- 4.5 लिफाफा बी में फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा प्रपत्र एवं चाहे गए समस्त तकनीकी दस्तावेज रखने होंगे। चाहे गए समस्त दस्तावेज मांग किए गए क्रम अनुसार जमा किये जाने चाहिए।
- 4.6 लिफाफा सी में निविदा की वित्तीय दर मूल प्रति में जमा करनी होगी।
- 4.7 निविदाफर्म द्वारा समस्त दस्तावेज स्व प्रमाणित एवं फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत किए जाने होंगे।
- 4.8 प्रस्तुत किए जाने वाले सभी लिफाफों पर प्रति में अधिष्ठाता बीएमसी सागर तथा प्रेषक में फर्म का नाम एवं पूर्ण पता लिखा जाने के साथ साथ **“गर्ल्स हॉस्टल में मैस संचालन व्यवस्था निविदा वर्ष 2017-18”** लिखा जाना होगा।
- 4.9 ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करते हुए निविदाकार फर्म को निविदा की धरोहर राशि हेतु मूल प्रति की स्कैन कॉपी संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदा मूल्य की पावती भी संलग्न की जानी होगी।
- 4.10 ऑनलाईन निविदा की तकनीकी निविदा में फर्म को निविदा के चाहे गए समस्त तकनीकी दस्तावेजों के साथ-साथ निविदा प्रारूप जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के सील व हस्ताक्षर हो स्कैन कर संलग्न की जानी होगी।
- 4.11 ऑनलाईन निविदा में चाहे गए प्रारूप में वित्तीय निविदा दर प्रस्तुत की जानी होगी।

5. निविदा प्रपत्र का विक्रय :-

निविदा प्रपत्र, www.mpeproc.gov.in से ऑनलाईन देखने/पढने के बाद दिनांक 22.09.2017 (शुक्रवार) सायं 5:30 बजे तक ऑनलाईन निर्धारित शुल्क जमा कर, ऑनलाईन क्रय की जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में निविदा मूल्य रु. 1000/- वापिसी योग्य नहीं है।

फर्म द्वारा गर्ल्स हॉस्टल में मैस व्यवस्था हेतु महाविद्यालय के हॉस्टल परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में आकर किया जा सकता है।

6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :-

निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर **“महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में मैस संचालन व्यवस्था 2017-18”** अंकित कर अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में हार्डकॉपी दिनांक 26.09.17 (मंगलवार) को शाम 5:30 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदाकार फर्म से अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा हार्डकॉपी में वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए, जिन्हें वह ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत कर रहे। फर्म द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

7. निविदा खोलने की तिथि एवं निविदा का स्वरूप :-

दिनांक 27.09.2017 (बुधवार) को दोपहर 3:00 बजे अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शा.चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों, द्वारा ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी। समस्त निविदादाता फर्म निविदा खोलने की कार्यवाही ऑनलाईन देख सकेंगे।

7.1 दि. 27.09.17 को दोपहर 3:00 बजे निविदा की एफडीआर निविदा 'ए' खोला जाएगा।

7.2 निविदा 'ए' में सफल होने वाले निविदाकारों की तकनीकी निविदा 'बी' दि. 27.09.17 को दोपहर 4:00 बजे खोली जावेगी।

7.3 निविदा 'बी' में सफल होने वाले निविदाकारों की वित्तीय निविदा 'सी' दि. 28.09.17 को दोपहर 3:00 बजे खोली जावेगी।

7.4 चाहे गए दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न करने पर किसी भी स्तर पर निविदाकार फर्म के असफल होने की पूर्ण जबावदेही संबंधित फर्म की होगी।

7.5 क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. निविदा का परीक्षण एवं विश्लेषण :-

समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा। जिस निविदादाता की वित्तीय निविदा दर अधिकतम होगी, उसे चयनित किया जाएगा। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस निविदा कार्य हेतु मैस स्थल के किराए के रूप में राशि रु. 10000/- न्यूनतम वित्तीय निविदा दर निर्धारित की गई है। यदि एक से अधिक निविदादाता की अधिकतम दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार को शासकीय संस्थानों से संबंधित अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। अधिष्ठाता को यह अधिकार होगा कि कम या अधिक दरों को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बगैर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को होगा।

9. अनुबंध :-

सफल निविदाकार को अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास. चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के साथ महाविद्यालय "गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था" कार्य हेतु अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्टाम्प पेपर रु.1000/- एवं नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं व्यय करना होगा। 03 वर्ष पश्चात् कार्य संतोषजनक पाए जाने पर, फर्म के आवेदन एवं क्रय समिति की अनुशंसा पर, निविदा अवधि आगामी वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। (प्रतिवर्ष मासिक किराया एवं भोजन दर पर 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी)

10. **“गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था” कार्य का वर्गीकरण एवं अनिवार्य शर्तें (स. क्रं. 1 से 38 तक) :-**

1. अधिकतम वित्तीय दर प्रदान करने वाली फर्म से, अनुबंध संपादित कर, **“गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था”** राशि रु. प्रतिमाह अग्रिम जमा करने एवं निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा। अनुबंध की अवधि कार्यादेश जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर 03 वर्ष पश्चात् निविदा अवधि, फर्म के आवेदन एवं क्रय समिति की अनुशंसा पर, स्वीकृत वित्तीय दर में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ, आगामी वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। (प्रतिवर्ष मासिक किराया एवं भोजन दर पर 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी)
2. आदेश प्राप्त करने की दिनांक से प्रथमतः आपको महाविद्यालय से संबंधित **“गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था”** हेतु किराया राशि अग्रिम जमा कराने उपरांत बॉयज हॉस्टल की वार्डन से मैस संचालन हेतु नियत स्थल का लिखित में चार्ज ग्रहण करना होगा उक्त चार्ज में स्थल में उपस्थित/कार्यरत समस्त सामग्री का उल्लेख किया जाना होगा। निविदा कार्य संचालन प्रारंभ करने की सूचना के साथ संलग्न करना होगा। इसी क्रम में आपके द्वारा अनुबंध अवधि पूरी होने/कार्य बीच में ही छोड़ने पर लिए गए चार्ज अनुसार मैस हेतु निर्धारित स्थल संबंधित वार्डन को सुपुर्द करना होगा।
3. निविदादाता फर्म निविदा में अधिकतम दर प्रदाय करने उपरांत भी निविदा कार्य हेतु अनुबंध संपादित नहीं कराती अथवा अपनी निविदा खुलने पश्चात भी निविदा की हिस्सेदारी से पृथक होना चाहे तो निविदादाता फर्म की जमा सुरक्षा निधि में से 25 प्रतिशत की राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी। इसी प्रकार निविदादाता फर्म कार्यादेश जारी होने उपरांत स्वयं अथवा अन्य किसी भी कारण से निविदा कार्य करने में असफल होता है या स्वयं कार्य छोड़ने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है। तो जमा अग्रिम धरोहर राशि से 50 प्रतिशत राशि कटौत कर शेष राशि ही वापिस की जाएगी। किन्तु निविदादाता फर्म बिना बताए सीधे ही कार्य छोड़कर भाग जाती है तो फर्म की जमा सुरक्षा निधि राजसात कर फर्म को ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा एवं ऐसी स्थिति में द्वितीय निविदादाता फर्म को कार्यादेश जारी करते हुए प्रथम निविदाकार का अधिकार समाप्त किया जाएगा।
4. निविदाकार फर्म को, मैस संचालन हेतु शासन द्वारा निर्धारित समस्त आवश्यक रजिस्ट्रेशन, स्वयं के व्यय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, अग्रिम धरोहर राशि राजसात कर, द्वितीय निविदादाता को निविदा प्रदान की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम निविदादाता फर्म का होगा।
5. **“गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था”** हेतु डाइट चार्ज दिन/समय अनुसार निम्नानुसार रहेगा, इस डाइट व्यवस्था हेतु महाविद्यालय प्रबंधन ने रु. 1800 प्रतिमाह निर्धारित किया है। यह राशि संबंधित छात्र द्वारा नियुक्त एजेंसी/मैस संचालक के पास जमा करेंगे। छात्र मैस संचालक को प्रतिमाह की 10 तारीख तक मैस की राशि मैस संचालक के पास जमा करनी होगी, जमा की गई राशि की रसीद मैस संचालक को संबंधित छात्र को प्रदाय करनी होगी। राशि प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित मैस संचालक की होगी। यदि विद्यार्थी किसी दिन खाना मैस से नहीं खाना चाहता है तो उसे एक दिन पूर्व मैस संचालक को सूचना देनी होगी। छात्र जितने दिन मैस में

खाना खाएंगे उतने ही दिन का भुगतान मैस संचालक को प्राप्त होगा। इसके लिए मैस संचालक को एक पंजी संधारित करनी होगी, जिस पर छात्र के हस्ताक्षर कराना होंगे।

दिन	समय	डाइट व्यवस्था
सोमवार	नाश्ता (प्रातः 7:00 से 8:00)	पोहा + चाय + 01 पेड़ा
	भोजन (दोपहर 1:00 से 3:00)	दाल (गाढी) + सब्जी सूखी + रोटी + सलाद (प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू) + पापड़ + चावल + अचार + दही एक कटोरी
	भोजन (रात्रि 7:30 से 9:30)	मटर पनीर (1x1 सेंटीमीटर साईज)+ पराठे + सलाद
मंगलवार	नाश्ता (प्रातः 7:00 से 8:00)	ब्रेड 4 + कटलेट वेज + मक्खन + चाय
	भोजन (दोपहर 1:00 से 3:00)	दाल (गाढी) + सब्जी सूखी + रोटी + सलाद (प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू) + पापड़ + चावल + अचार + दही एक कटोरी
	भोजन (रात्रि 7:30 से 9:30)	नान + छोले + पेड़ा एक पीस
बुधवार	नाश्ता (प्रातः 7:00 से 8:00)	पराठा + सब्जी + चाय
	भोजन (दोपहर 1:00 से 3:00)	दाल (गाढी) + सब्जी सूखी + रोटी + सलाद (प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू) + पापड़ + चावल + अचार + दही एक कटोरी
	भोजन (रात्रि 7:30 से 9:30)	दाल तूअर + सब्जी + रोटी + सलाद
गुरुवार	नाश्ता (प्रातः 7:00 से 8:00)	आलू बड़ा + चटनी + चाय
	भोजन (दोपहर 1:00 से 3:00)	दाल (गाढी) + सब्जी सूखी + रोटी + सलाद (प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू) + पापड़ + चावल + अचार+ दही एक कटोरी
	भोजन (रात्रि 7:30 से 9:30)	पूड़ी + सब्जी + खीर + सलाद
शुक्रवार	नाश्ता (प्रातः 7:00 से 8:00)	पराठा + दही शक्कर + चाय
	भोजन (दोपहर 1:00 से 3:00)	दाल (गाढी) + सब्जी सूखी + रोटी + सलाद (प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू) + पापड़ + चावल + अचार+ दही एक कटोरी
	भोजन (रात्रि 7:30 से 9:30)	बेशन के गट्टे + पराठे + दही + सलाद
शनिवार	नाश्ता (प्रातः 7:00 से 8:00)	पूड़ी + सब्जी + चाय
	भोजन (दोपहर 1:00 से 3:00)	दाल (गाढी) + सब्जी सूखी + रोटी + सलाद (प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू) + पापड़ + चावल + अचार+ दही एक कटोरी
	भोजन (रात्रि 7:30 से 9:30)	आलू का पराठा + दही + सलाद

रविवार	नाश्ता (प्रातः 7:00 से 8:00)	इटली + सांभर + चाय
	भोजन (दोपहर 1:00 से 3:00)	दाल (गाढी) + सब्जी सूखी + रोटी + सलाद (प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू) + पापड़ + चावल + अचार+ दही एक कटोरी
	भोजन (रात्रि 7:30 से 9:30)	कड़ी पकोड़ा + रोटी + चावल + सलाद + पेड़ा एक पीस
प्रतिदिन शाम 4:00 बजे गुड़ की चाय देना होगी।		

नोट— उपरोक्त खाद्य सामग्री में निम्नानुसार ब्राण्ड/कंपनी की सामग्री उपयोग करनी होगी।

टमाटर सोस (पतंजलि, मैगी, किसान), तेल (पूर्ति, फॉरच्यून, सनप्लावर), आटा (शक्ति भोग, अन्नपूर्णा), चावल फुल साईज बासमती, पापड़ (लिज्जत), दाल (टाटासम्पन्न), पनीर (अमूल्य), अचार (निलान्स) पेड़ा (सांची), दही (सौरभ, सांची), मक्खन (अमुल) दूध (सांची), घी (सांची), मसाले—लालमिर्च, पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक (टाटा सम्पन्न, एवरेस्ट, या एम.डी.एच.) चाय— (रेडलेबल, बाघबकरी, गुडरिक) सूखी सब्जी— बैंगन, सेमफली, बरबटी (श्यामफली), भिण्डी, लौकी, तुरई, अरबी, पत्तागोभी, फूलगोभी, टिण्डे, आलू सब्जी में एक तिहाई से अधिक नहीं होने चाहिए। सिर्फ बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, फली में केवल आलू मिक्स कर सकते हैं। रोटी में शुद्ध घी लगाकर देना होगा।

उपरोक्तानुसार डाइट साप्ताहिक रूप से रहेगी। डाइट में परिवर्तन संबंधित छात्रों के अनुरोध पर संबंधित वार्डन की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा। छात्रों द्वारा जमा की जाने वाली मासिक दर रु. 1800/- में वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

- उपरोक्तानुसार डाइट सप्ताह के 07 दिन, माह के 30/31 दिन वर्ष के 365 दिन प्रदाय करनी होगी। अवकाश करने अथवा नियत समय के पूर्व पश्चात भोजन व्यवस्था लागू करने पर प्रति प्रकरण रु. 1000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। जो फर्म द्वारा स्वयं जमा किया जावेगा।
- मैस में किसी भी प्रकार के मांसाहारी/मादक पदार्थों को रखना वर्जित रहेगा। उल्लंघन करने पर न्यूनतम रु. 1000/- प्रति प्रकरण अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। तीन बार इस शर्त का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त किया जा सकेगा।
- भोजन निर्माण स्थल में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा तथा निविदादाता या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। निविदादाता किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर मैस में उपयोग करने के लिए अनुमति नहीं देगा।

9. मैस में प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री, खाद्य विभाग के मानक स्तर की न होने पर महाविद्यालय प्रशासन या संबंधित वार्डन द्वारा निविदादाता फर्म पर अर्थदण्ड के रूप में न्यूनतम राशि रु. 200.00 एवं अधिकतम राशि रु. 10,000.00 तक का अर्थदण्ड एक बार में लगाया जा सकता है। जिसे फर्म को जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म की निविदा निरस्त करते हुए, अग्रिम धरोहर राशि राजसात करते हुए द्वितीय निविदाकार को निविदा प्रदान की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तर दायित्व प्रथम निविदादाता फर्म का होगा।
10. निविदादाता को आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रखना होंगे। उनके पोषाक एक समान एवं साफ-सुथरी होगी। कर्मचारी का आचरण अनुकूल एवं वेशभूषा सभ्य होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों की पोषाक पर, संबंधित की नेम प्लेट एवं आई.डी. होना आवश्यक होगा। मैस संचालन हेतु निविदादाता फर्म द्वारा लगाए गए कर्मियों की निम्न प्रारूप में सूची के साथ, उनका पहचान पत्र, स्वास्थ्यता, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पता	फोटो आईडी नं. एवं छायाप्रति	कलर फोटो	कर्मचारी के हस्ताक्षर

11. आपके द्वारा प्रदाय किए जाने वाली मैस सुविधा उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। छात्रों/संबंधित वार्डन की शिकायत प्राप्त होने पर फर्म के विरुद्ध चेतावनी पत्र जारी किया जावेगा। तीन चेतावनी पत्र जारी उपरांत फर्म को उपरोक्त निविदा कार्य हेतु अयोग्य माना जावेगा तथा उसकी जमा सुरक्षा निधि राजसात कर, द्वितीय निविदाकार फर्म से अनुबंध संपादित करने की कार्यवाही की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व वर्तमान फर्म का होगा।
12. छात्राओं हेतु प्रतिदिन उपरोक्त डाइट अनुसार भोजन पूर्ण स्वच्छता एवं उच्च गुणवत्ता के खाद्य तेल, साफ-कच्ची खाद्य सामग्री जैसे-गेहूँ, चावल, दाल आदि, ताजे मसाले एवं ताजी सब्जी का ही प्रयोग किया जाना होगा।(डाइट चार्ट में दर्शाए अनुसार ब्राण्ड के)
13. महाविद्यालय द्वारा निविदाकार फर्म को, भोजन निर्माण स्थल ही उपलब्ध कराया जाएगा, फर्म द्वारा उत्तम क्वालिटी की क्रॉकरी, एवं अन्य सामग्री की सुविधाएँ स्वयं के व्यय से उपलब्ध करानी होगी। महाविद्यालय द्वारा लाईट एवं पंखे उपलब्ध कराए जाएंगे। निविदावधि में जिसका रख-रखाव फर्म द्वारा किया जाएगा।
14. फर्म द्वारा, भोजन निर्माण स्थल में उपयोग की जाने वाली विद्युत का मासिक भुगतान, मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, सबमीटर की रीडिंग एवं महाविद्यालय द्वारा जमा किए जा रही दर अनुसार भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता फर्म को, भोजन निर्माण स्थल की साफ-सफाई/सुरक्षा व्यवस्था हेतु मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, राशि रु. 2000.00 प्रतिमाह जमा कराना होगा।

उक्त व्यवस्था वैकल्पिक होगी। सफल निविदादाता को अनुबंध के समय विकल्प चुनना होगा कि वह स्वयं यह व्यवस्था करेगा अथवा महाविद्यालय द्वारा प्रदाय सेवा का लाभ लेगा। यदि वह स्वयं सफाई व्यवस्था संचालित करना चाहे तो संपूर्ण मैस स्थल की स्वच्छता की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी, जिसे वह निष्ठा से पूर्ण करेगा।

16. निविदाकार फर्म को भोजन बनाने एवं प्रदाय हेतु, खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित मानको का पालन करना अनिवार्य होगा। उनके द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षण में पाई गई कमियों/अनियमितताओं/अर्थदण्ड इत्यादि का संपूर्ण दायित्व फर्म का होगा।
17. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा बीच में ही बिना किसी कारण बताए निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर का होगा।
18. निविदाकार फर्म को, शासकीय कार्य में ब्लेक लिस्टेड न होने एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी एवं श्रम विभाग के अंतर्गत समस्त नियमों का पालन करने हेतु शपथ पत्र निर्धारित राशि के स्टाम्प पर जमा कराना अनिवार्य होगा। (स्टाम्प का प्रारूप संलग्न है)
19. निविदादाता फर्म को, भोजन निर्माण स्थल में पानी सप्लाई हेतु मासिक किराए के अतिरिक्त पृथक से, राशि रु. 500.00 प्रतिमाह जमा कराना अनिवार्य होगा।
20. निविदाकार फर्म, निविदा संचालन हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगा। तथा निविदाकार फर्म द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति समस्त शासकीय विभागों जैसे— श्रम विभाग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि के मापदण्डों का पालन किया जाना होगा।
21. मैस स्थल के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का निर्माण संबंधी कार्य नहीं किया जाए। संबंधित वार्डन की लिखित स्वीकृत उपरांत अस्थायी निर्माण कार्य स्वीकार्य रहेगा। यदि स्थायी निर्माण आवश्यक है तो अधिष्ठाता महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर, कार्य संपादित कराया जाए। मैस स्थल में किसी भी प्रकार के नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति निविदाकार की धरोहर राशि से पूर्ण की जाएगी।
22. निश्चित अवधि के बाद भोजन निर्माण स्थल अथवा उसके किसी भी भाग का आधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जाएगा तथा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उसमें जो भी व्यय होगा वह निविदाकार की धरोहर राशि से वसूल किया जाएगा। भोजन निर्माण स्थल के अलावा अन्य कहीं भी सामान रखना शासकीय भवन में अतिक्रमण माना जावेगा। जिसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

23. निविदादाता को "गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था निविदा वर्ष 2017-18" कार्य, स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा।
24. मेस में किसी भी प्रकार का न्यूसेंस, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा। स्थल पर अनुशासन व शांति बनाए रखना निविदादाता का ही कर्तव्य होगा।
25. भोजन निर्माण स्थल में ईंधन के लिए एल.पी.जी. गैस (व्यावसायिक) का ही उपयोग किया जाएगा।
26. मेस में तैयार किया गया भोजन प्रतिदिन प्रति पाली संबंधित वार्डन द्वारा परीक्षण किए जाने एवं उनकी स्वीकृति उपरांत ही खाना छात्रों को वितरण किया जाना होगा।
27. छात्राओं से की जाने वाली व्यक्तिगत लेन-देन/उधारी की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। महाविद्यालय प्रशासन इस व्यक्तिगत लेने-देन से पूर्णतः निष्पक्ष रहेगा।
28. निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास. मेडिकल कॉलेज का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
29. निविदादाता फर्म बीमार व्यक्ति, अतिबृद्ध व्यक्ति को निविदा कार्य हेतु नहीं रखेगी। साथ ही नियुक्त कर्मचारियों के समय-समय पर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।
30. निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जबावदार होगा।
31. ऊपर दी गई शर्तों के अलावा ठेकेदार द्वारा दी गई शर्त मान्य नहीं होगी। किसी भी न्यायालयीन कार्यवाही के लिए कार्यक्षेत्र सागर होगा।
32. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास. मेडिकल कॉलेज, सागर को कोई भी निविदा किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
33. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड शास. मेडिकल कॉलेज, सागर को ऊपर दी गई शर्तों में कमी/वृद्धि अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
34. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार, आयुक्त, सागर संभाग सागर एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति का होगा व उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
35. भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा समस्त लागू नियम एवं कर, छात्रों को प्रदाय की जाने वाली व्यवस्था हेतु प्रदाय किए जा रहे देयक से कटौती कर, जमा कराए जाएंगे।
36. निविदादाता दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

37. निविदादाता फर्म अथवा उसके संचालक को न तो किसी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो, और न ही फर्म अथवा संचालक के विरुद्ध किसी भी सक्षम अधिकारी के न्यायालय में अथवा खाद्य विभाग में अमानक स्तर की सामग्री से संबंधित प्रकरण प्रचलन में हो। संबंधी रू. 50- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा (संलग्न- परिशिष्ट-1)
38. मैस संचालक को वित्तीय दर भवन के मासिक किराया की अधिकतम दर प्रदाय करनी है। स्वीकृत निविदादाता को मासिक किराया, पानी किराया अग्रिम रूप से महाविद्यालय की स्वशासी खाते/शासन के खाते में जमा करानी होगी। राशि समय से जमा न करने पर रू. 10 प्रतिदिन से बिलंब शुल्क के साथ किराया राशि जमा करनी होगी।

11. निविदा हेतु आवश्यक संलग्नकों की सूची :-

उपरोक्त निविदा प्रपत्र, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील हो निम्न संलग्नकों के साथ एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर "गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था निविदा वर्ष 2017-18" की तकनीकी निविदा Envelope- "B" लिखकर रखें, फर्म का नाम भी लिखें :-

निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरण :-

1. फर्म का नाम :-
2. फर्म के प्रोपराईटर का नाम :-
3. फर्म के प्रोपराईटर का मो. नं. :-
4. फर्म का पूर्ण पता :-
5. फर्म का दूरभाष/फैक्स व ई-मेल नं :-
6. फर्म के व्यवस्थापक का फोटो आई.डी. नं. :-

क्रमांक	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	निविदा प्रपत्र का शुल्क जमा करने की मूल रसीद/मूल चालान प्रति	
2	निविदा प्रपत्र मूल रूप में फर्म के हस्ताक्षर एवं सील सहित	
3	खाद्य विभाग द्वारा जारी लायसेंस की छायाप्रति	
4	जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति	
5	निविदादाता का स्थाई लेखा क्रमांक (पेन) छायाप्रति	
6	निविदादाता फर्म को आयकर चुकता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2015-16 अथवा 2016-17	
7	किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने एवं दी गई जानकारी सत्य होने संबंधी राशि रु. 50- के स्टाम्प पर संलग्न प्रारूपानुसार शपथ पत्र परिशिष्ट-1	
8	संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं अन्य सामग्री लेटर हैड पर जानकारी आवश्यक है।(परिशिष्ट-2)	
9	अन्य यदि कोई हो तो	

नोट :- 1. उपरोक्त समस्त संलग्नकों की मूल/छायाप्रतियाँ स्वयं सत्यापित एवं फर्म की सील लगाकर, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकी अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

2. निविदादाता फर्म/संस्था के पास उक्त समस्त दस्तावेजों को होना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में निविदादाता संस्था/फर्म की निविदा को तकनीकी अहर्ता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

घोषणा पत्र

मैं. (निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होश एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्तें पूर्णतः मंजूर हैं। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म अथवा व्यक्तिगत मुझे, किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और न ही मेरी फर्म अथवा मेरे नाम से खाद्य विभाग में अमानक सामग्री संबंधी कोई प्रकरण पंजीबद्ध है। मैं अथवा मेरी फर्म शासन द्वारा निर्धारित समस्त नियमों एवं दायित्वों का पालन करने हेतु सहमति प्रस्तुत करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :-

पता :-

.....

2. पूरा नाम :-

पता :-

.....

हस्ताक्षर

निविदादाता फर्म का नाम

पता :-

मोबाईल नं. :-

निविदा हेतु कर्मचारी एवं सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी फर्म के लेटर हेड पर जारी प्रमाण पत्र

मैं. पुत्र श्री

उम्र (निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर/संस्थापक/संचालक का नाम/) फर्म

..... पता

..... यह प्रमाणित करता हूँ। कि यदि हमारी फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में मैस संचालन हेतु निविदा प्रदान की जाती है, तो हमारी फर्म, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समुचित संख्या में कर्मचारी एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएँगे।

हस्ताक्षर

संचालक/व्यवस्थापक का नाम

निविदादाता फर्म का नाम

पूर्ण पता :-

मोबाईल नं. :-

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

श्रीमान अधिष्ठाता महोदय,
बुन्देलखण्ड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)।

विषय :- “गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था निविदा वर्ष 2017-18” की वित्तीय निविदा दर प्रस्तुत करने बावत्।

आपके द्वारा (समाचार पत्र का नाम) में दि.
को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं महाविद्यालय के “गर्ल्स हॉस्टल में मेस संचालन व्यवस्था निविदा वर्ष 2017-18” हेतु निम्नानुसार वित्तीय निविदा दर प्रस्तुत करता हूँ, मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तें मान्य हैं।

उक्त कार्य हेतु मेरे द्वारा गर्ल्स हॉस्टल के मैस स्थल का अधिकतम किराया रु.
(शब्दों में रु. मात्र) प्रतिमाह अग्रिम, महाविद्यालय के पावर ज्योति खाता में या शासन के खाते में चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा।

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता :- निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर :-

..... निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम :-

दूरभाष/फैक्स क्रं. :- निविदादाता फर्म की सील :-

मोबाइल नं. :-

- नोट :-
1. कृपया एक मुश्त दर नियत स्थान पर ही लिखें किसी प्रकार की कांट-छांट, ओवर राइटिंग न करें। कांट-छांट, ओवर राइटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/शर्तें लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
 2. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मैस स्थल हेतु न्यूनतम वित्तीय निविदा दर रु. 10,000/- निर्धारित की गई है। अतएव निविदादाता फर्म इससे अधिक या बराबर वित्तीय दर प्रदान करें।